

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/ 1766

दिनांक 18/7/17

प्रेषित :-


तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 63/2016 अनवान गोमा बनाम लाखा वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 15.07.2017 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
सहायक कलक्टर
चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री मागीरथराम, आर.ए.एस.

अनवान वादी - 1.गोमा पुत्र भेरा, जाति जाट
निवासी जाटों का बेरा, सारला
तहसील सेड़वा।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.लाखा पुत्र किशना 2.बबूताराम 3.पदमाराम
4.गोरधनराम पि.मेहा 5.मालूदेवी पत्नि मेहा
जाति जाट, निवासी जाटों का बेरा, सारला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
6.उपपंजीयक एवं तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री मोहनलाल खिलेरी
प्रतिवादीगण वकील - श्री जगदीश पोटलिया (प्रतिवादी सं. 2 से 5)

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.
मुकदमा नं. 93/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री मोहनलाल खिलेरी एड.
मिनजानिब मुदाई व श्री जगदीश पोटलिया एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जाटों का बेरा, तहसील सेड़वा में
खसरा नं. 373 रकबा 93.07 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार
पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर.....

..... बीज मबलिंग
..... बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी
सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।
वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को जरी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
ओहदा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	धरंग
1	गोमाराम वल्द भेराराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	जाटों का बेरा	373	31.02	बा.सो.	0.93	लाल
2	अणसीदेवी पत्नि लाखाराम, अणदाराम वल्द ईसराराम 1/2, लाखा वल्द किशनाराम 1/2, कौम जाट सा.देह खातेदार	जाटों का बेरा	373	62.05	बा.सो.	1.87	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(Handwritten signature)

(भागीरथराम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 63/2016

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान वादी - 1.गोमा पुत्र भेरा, जाति जाट
निवासी जाटों का बेरा, सारला
तहसील सेड़वा।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.लाखा पुत्र किशना 2.बबूताराम 3.पदमाराम
4.गोरधनराम पि.मेहा 5.मालूदेवी पत्नि मेहा
जाति जाट, निवासी जाटों का बेरा, सारला
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
6.उपपंजीयक एवं तहसीलदार सेड़वा।

अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :- 15.07.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जो पत्रावली शामिल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। न्यायहित में तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जाटों का बेरा, तहसील सेड़वा में खसरा नं. 373 रकबा 93.07 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।


सहायक क्लर्क
चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	गोमाराम वल्द भेराराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	जाटों का बेरा	373	31.02	बा.सो.	0.93	लाल
2	अणसीदेवी पत्नि लाखाराम, अणदाराम वल्द ईसराराम 1/2, लाखा वल्द किशनाराम 1/2, कौम जाट सा.देह खातेदार	जाटों का बेरा	373	62.05	बा.सो.	1.87	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


निर्णय आज दिनांक 15.07.17 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प सेड़वा मे सुनाया गया।




 (भागीरथराम)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन
 चौहटन



मक्या विस्तार योजना - जरी का क्षेत्र
 नम्बर - सेक्टर नम्बर - 9" = 20 गुण्डा



सही जमीन

जमीन (पू. अ. प्र.)

1. गोमाराज पुत्र मेनाराम गोमाराज
 जाट सा. दे. खारेदार

नम्बर - 373 - 31.02

14/11/17

सहायक जमीन विभाग
 का. अ. 0-20 गुण्डा

2. अणसीदेवी पति मारुमाराम
 अणदराम का. दे. खारेदार 1/2
 मारुमाराम का. दे. खारेदार 1/2
 गोमाराज जाट सा. दे. खारेदार


373

62.05 का. अ. (अ. अ.)

प. खारेदार

अ. अ. वि. खारेदार
 Exp. Cont.

म. अ. वि. खारेदार



म. अ. वि. खारेदार

सहायक जमीन विभाग
 (S.D.O) चौहटन